

कार्यालय, बिहार शिक्षा परियोजना, पटना

पत्रांक 2618

दिनांक 04.09.2021

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

दिल्ली ग्रामर स्कूल, गोनपुरा, फुलवारीशरीफ, पटना।

विषय : बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रायोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय को प्रदत्त प्रस्वीकृति का प्रमाण-पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन पत्र और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करवाये गये अभिलेख के आलोक में आपके विद्यालय दिल्ली ग्रामर स्कूल, गोनपुरा, फुलवारीशरीफ, पटना को कक्षा 01 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षों दिनांक 28/08/2021 से 27/08/2024 तक की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।
प्रदत्त स्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली, 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचारण करेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैंपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन में- उसके उम्र प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।

विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे:

- i. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
 - ii. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
 - iii. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में

Kamal Baskitpur Nazki
Manager I
Delhi Grammer School
Phulwarisharif, Patna

Sedon Hudas
Principal
Delhi Grammer School
Phulwarisharif, Patna
vi.

Lashit
24/09/2021

M

कार्यरत वैसे सभी शिक्षक, जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं, वे 5 वर्षों के अंदर निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे।

vii. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

viii. शिक्षक निजी-स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।

8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदंडों को बरकरार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं के विवरण निम्नवत :

विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल : 2.0 एकड़

कुल निर्मित क्षेत्र : 4812 वर्गफीट

खेल के मैदान का क्षेत्र : उपलब्ध

वर्गकक्षाओं की कुल संख्या : 21

प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष : 01

बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय : बालक : 10, बालिका : 10

पेयजल की सुविधा : उपलब्ध

मध्याह्न भोजन के लिए रसोई-घर : उपलब्ध

बाधारहित पहुँच : उपलब्ध

11. कोई भी अप्रस्वीकृत वर्गकक्षा विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।

15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चाटर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जाएगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या PAT/RTE/PVT.SCH/887 है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाए।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा / जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएँगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की भातों के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

Kamal Baktiyar negmi
Manager

Delhi Grammer School
Phulwarisharif, Patna

Lastjit
24/09/2021

Sheshan Haidar
Principal

Delhi Grammer School
Phulwarisharif, Patna

विश्वासभाजन

(M) 24.9.2021

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा.शि. एवं सर्व शिक्षा अभियान
पटना।